>

Title: Resolution regarding special economic development package for desert regions of the country. (Discussion not concluded).

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up item no. 14 – Shri Harish Chaudhary.

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "यह सभा देश के मरू प्रदेशों में व्याप्त पिछड़ेपन पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह:-
>
> (एक) मरू प्रदेशों में रहने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए आर्थिक पैकेज की तर्ज पर मरू प्रदेशों के समग्र विकास; तथा
>
> (दो) इन प्रदेशों के लोगों को देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के समतुल्य सामाजिक-आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज तैयार करे और इसे कार्यान्वित करे।"

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्र, मरू प्रदेश मरुस्थल की तरफ से जो हमारे हालात को इस सदन के अंदर बताने का आपने मौका दिया है। इस समस्या के समाधान के रास्ते की चर्चा करने का जो आपने अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

सभापति महोदय, हमारा देश विभिन्नता वाला देश है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं लम्बी नदियां हैं, कहीं बर्फीला क्षेत्र है, कहीं समुद्र का किनारा है और कहीं मरुस्थल है। देश के जिन क्षेत्रों का विकास उनके भौगोलिक और प्राकृतिक कारणों से नहीं हो सका, उसमें देश का उत्तर-पूर्वी भाग और मरुस्थलीय क्षेत्र मुख्यतः है।

सभापति महोदय, रेगिस्तान के बारे में इस सदन में चर्चा ही बहुत हुई है, पर रेगिस्तान है क्या? रेगिस्तान की पीड़ा वहां रहने वाले बाशिंदे ही जानते हैं। जिन विषम परिस्थितियों में वे अपना जीवनयापन करते हैं, शायद वैसी विषम परिस्थितियां किसी भौगोलिक क्षेत्र में नहीं हैं। इस संसद के अंदर कई क्षेत्रों की चर्चा हुई है और मैं राज्यों के आधार पर कहना चाहता हूं कि राज्य एक प्रशासनिक सीमाओं के तहत होते हैं। जो क्षेत्र भौगोलिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, सदियों से पिछड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र की आवाज यहां दिल्ली तक पहुंचने की भी व्यवस्था नहीं है और वह व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि प्राकृतिक तौर पर वह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि उस क्षेत्र के अंदर शिक्षा की भी बहुत कमी है।

रेगिस्तान क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिनमें ढाई सौ मि.िम. से कम वर्षा हो। औसतन 1600 से 1700 मि.िम. वर्षा हम लोगों के वहां होती है। मेरे खुद के क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर में, वर्ष में सिर्फ 100 मि.िम. वर्षा होती है। उतनी वर्षा दूसरे प्रदेशों में कुछ ही मिनटों में हो जाती है।

मैं राजस्थान से आता हूं और वहां का 61 प्रतिशत भू-भाग रेगिस्तानी है और उस भू-भाग में लगभग 41 प्रतिशत आबादी रहती है। रेगिस्तान के अंदर जो बाशिंदे रहते हैं, उनको लगातार तनाव, अनियमित वर्षा, तीव्र शुष्कता, उच्च हवा-वेग, चल रेत के टीबे और सूखे जैसी प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो रेगिस्तानी इलाके हैं वे लगभग 10 प्रतिशत इस देश का भू-भाग है और उसमें सिर्फ 2 प्रतिशत जल ही हमारे हिस्से में है। वह दो प्रतिशत कैसा जल है, वह मैं इस संसद के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। किसी भी पैमाने के अंदर वह जल मनुष्य ही नहीं जानवरों के लिए भी वह जल पीने योग्य नहीं है। उस पेयजल को पीकर, उस विषम परिस्थिति में पलने वाले राजस्थान के लोग हैं, मरुस्थल के लोग हैं। उन विषय परिस्थितियों के बावजूद भी हमने अपनी बात बड़ी विनम्रता के साथ रखी है और कभी भी हमने अपनी बात के अंदर उग्रता और उग्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। कहावत है कि जितना गहरा पानी होता है, उतना सहनशील वहां का व्यक्ति होता है। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि हम लोगों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका अहसास किया जाए। मैं माननीय भोलासिंह जी की तरह हक और अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी की जो समग्र विकास की सोच है कि भारत में दो प्रकार का देश न हो - एक विकसित देश और एक पिछड़ा हुआ देश।

सभी को साथ में ले कर हम देश का विकास कैसे करें, इसी विचार और सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN): Please address the Chair....(*Interruptions*)

श्री हरीश चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शायद हमारी संसद विश्व का सबसे पवित्र स्थान है और संसद में बोला गया शब्द, संसद में रखा गया विचार सारा देश गंभीरता से सुनता है और हम लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश को आगे कैसे बढ़ाएं, इस बारे में सोचना चाहिए। देश के विकास में प्रत्येक किसान और मजदूर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, मैं बैठने के बाद उनकी बात भी सुनूंगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair. You address the Chair. Do not discuss with them. If there is diversion, you cannot put all your points.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I am only helping him. Then only he can concentrate on his speech. Otherwise, if he goes on discussing with them, he cannot say all his points.

...(*Interruptions*)

श्री हरीश चौधरी : हमें इस खाई को पाटने के लिए ग्रामीण भारत का समग्र विकास करना है। देश के विकास की मुख्य रीढ़ मजदूर और किसान हैं। जब तक हम इनके महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज दुर्भाग्य से मजदूर और किसान के प्रति देश के लोगों का दृष्टिकोण है, शायद इतिहास में कभी नहीं था। आज हम लोग अपने आपको किसान या खेती से जुड़े किसी भी कार्य से जोड़ते हैं, तो हमें गर्व नहीं होता है। अगर हम अपने आपको मजदूरी के कार्य से जोड़ते हैं, तो हमें गर्व नहीं होता है। कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था, कोई भी समाज जब तक किसान और मजदूर का सम्मान नहीं करेगा, तब तक विकास की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं।

मैं सदन के माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोगों की सोच किसान और मजदूर का सम्मान करने की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो वैकल्पिक तौर पर इस देश के अंदर कई प्रकार की मांग आएगी। हमें संसद में तय करना पड़ेगा कि किसान और मजदूर की भागीदारी तथा पिछड़े इलाकों की भागीदारी देश के विकास में कैसे सुनिश्चित करें। देश के उत्तरी-पूर्वी राज्यों के अंदर विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछड़े इलाके के लिए केंद्र सरकार और पूरा देश सोच रखता है और देश के समग्र विकास में भागीदार बनने का मौका देता है। उत्तरी-पूर्वी सात राज्यों का क्षेत्रफल लगभग 0.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस योजना के लिए विभिन्न मंत्रालयों का आबंटन का प्रावधान 10 प्रतिशत है। हमारे देश के मरुस्थलीय इलाके का भू-भाग 0.4 मिलियन वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। मैं यह सिर्फ तुलनात्मक आंकड़े देने के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ ज्यादा मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं धरातल में स्थिति बताने के लिए सबके सामने यह बात रख रहा हूं। इसमें से 0.2 मिलियन वर्ग स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। इतना बड़ा राजस्थान का मरुस्थलीय भू-भाग है। राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर संसदीय क्षेत्र जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ इलाका है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं संसद में आया हूं। अगर इस भू-भाग की हम राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर हम पैमाना करने तो हरियाणा राज्य से डेढ़ गुना लगभग मेरा संसदीय क्षेत्र है। क्षेत्रफल के आधार पर लगभग 58 हजार स्केयर किलोमीटर बाड़मेर, जैसलमेर मेरा संसदीय क्षेत्र है।

मेरा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर सबसे मरुस्थल प्रभावी क्षेत्रों में से है। राजस्थान के अलावा मरुस्थल में जो क्षेत्र हैं उसमें गुजरात, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है जो कि मरुस्थल हॉट डैजर्ट के नाम से कहा जाता है। उस मरुस्थल के अंदर हॉट डैजर्ट के अलावा कोल्ड डैजर्ट भी हैं। हॉट डैजर्ट रेतीले भूभाग से सटा हुआ क्षेत्र है और कोल्ड डैजर्ट बर्फीला इलाका है। मैं सिर्फ रेतीले विषम परिस्थितियों के इलाके की ही बात नहीं कर रहा हूं। जो बर्फीला इलाका है, उसके लिए भी सदन से निवेदन करता हूं कि उसकी ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। वह क्षेत्र लाल सिंह जी जैसे बता रहे हैं कि वह जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हिमाचल का क्षेत्र है वह भी मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे ही कोल्ड डैजर्ट के नाम से जाना जाता है।...(<u>व्यवधान</u>) जम्मू कश्मीर हमारा सिरमौर है, हमारे देश का ताज है।

इस देश में हरित क्रांति की बातें हो रही हैं। मैं संसद के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान किसी इलाके का अगर हो सकता है तो वह इस रेगिस्तान के इलाके का है। इसके अंदर अगर हम लोग सिंचाई के प्रावधान करें, राज्य सरकारों की तरफ से, केन्द्र सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट भी इस इलाके के अंदर आया है। नर्मदा नहर परियोजना भी इस रेगिस्तान के अंदर आई है। इन परियोजनाओं से अगर हम लोग सिंचाई का अवसर उन किसानों को दें तो सबसे ज्यादा हरित क्रांति के अंदर अगर योगदान की संभावना है तो वह इसी इलाके के अंदर है। इस इलाके के अंदर पिछड़ापन सिर्फ सिंचाई का अवसर और पेयजल के अवसर नहीं मिलने के कारण हैं। आज हम लोग इतना विकास कर गये हैं कि उस विकास के अंदर उन किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उस इलाके के लिए अगर सिंचाई की व्यवस्था हम लोग करें तो भी उस इलाके का काफी भला हो सकता है।

इस देश में कई जगह बाढ़ की बहुत विकट समस्या है। इस सदन में ही अनेकों बार बिहार के प्राकृतिक हालात के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा की गई है और सभी पक्षों द्वारा यह चिंता ज़ाहिर की गई है कि वहां के किसान बाढ़ से जो परेशानी झेलते हैं, उनको ही इस परेशानी का पता है। हम लोग इस पीड़ा को नहीं बता सकते क्योंकि हम लोगों को इस बाढ़ का क्या प्रारूप रहता है, उससे हम लोग अवगत नहीं हैं। मरुस्थल के अंदर जो बाशिन्दे हैं, उन लोगों की क्या पीड़ा है, उस पीड़ा का भी आप ऐसे ही एहसास करो और इस विकास के अंदर हम लोगों की भी भागादारी रखो। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 1975 में राजस्थान सरकार ने इस मरुस्थल की स्थिति का आकलन करने के लिए स्वर्गीय पूनमचंद बिश्नोई जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई और उसके बाद केन्द्र सरकार ने 1976 में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया। उन दोनों रिपोर्ट्स में मरुस्थलीय भूभाग का काफी गहनता से अध्ययन किया गया। आज से 30-40 साल पहले हम लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे, इसलिए उन योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए हम लोग उस मरुस्थलीय इलाके को विकास की दिशा में आगे नहीं ले जा सके। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। इसलिए आज उन समस्याओं का समाधान जो उन रिपोर्ट्स में बताया गया है, उनके क्रियान्वयन करने का आज समय आ गया है, यही बात मैं सदन के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं। दुर्भाग्य से इतने बड़े भूभाग के लिए किसी भी प्रकार का अध्ययन नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की कमेटी नहीं बन रही है और किसी भी प्रकार का सोच विचार उस इलाके के अंदर नहीं जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों पर भी आप ध्यान देने की कृपा करें।

मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं -

या खुदा रेत के सहरे को समुंदर कर दे

या तरसती हुई आंखों को पत्थर कर दे।

मेरे पड़ोस के लोकसभा क्षेत्र से अर्जुन राम जी हैं। वे बता रहे थे कि बिहार से बहुत आईएएस आते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इनके फलने फूलने और विकसित होने के लिए प्राकृतिक तौर पर संसाधन थे। हम लोगों की पीड़ा और स्थिति को देखें, दुर्भाग्य से ये संसाधन हमारे पास नहीं हैं। हमारे बच्चे दो समय की रोटी के संघर्ष वाली परिस्थितियों से आते हैं। आप उन्हीं परिस्थितियों से आए हैं और उन्हीं परिस्थितियों से मैं भी आया हूं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मरुस्थलीय परिस्थितियों की अब भी वही स्थिति है। हमारे यहां अगर मरुस्थल में किसी को दो वक्त इज्जत की रोटी मिल जाए तो उसे सफलता का सबसे बड़ा पैमाना पारंपरिक तौर पर माना जाता है। हम लोगों के लिए वही विकास, सफलता के पैमाने थे। आज जरूर भौगोलिक तौर पर भौतिकवाद बहुत तेजी से बढ़ता आ रहा है लेकिन मरुस्थलीय इलाके में वही स्थिति आज भी है कि दो टाइम की रोटी, स्वच्छ पीने के पानी, तन पर कपड़े और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा के बिना जीवन क्या होता है, वहां जाकर आप देखिए, यह मेरा निवेदन है। यहां प्राकृतिक तौर पर इतना पिछड़ापन है। यहां विकास की बहुत चर्चा होती है लेकिन विकास से यहां किसी प्रकार का जुड़ाव नहीं है। आज यहां पेयजल की बहुत विकराल स्थिति है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 58,000 स्कवेयर किलोमीटर में कोई प्राकृतिक साधन, डैम और नदी नहीं है। यहां कहने के लिए एक नदी जरूर है, लूनी नदी, लेकिन इस नदी में पिछले 20 सालों से पानी ही नहीं आया है। आज मैं यहां अगर प्रश्न पूछूं तो यह जरूर कहा जाता है कि वहां लूनी नदी है लेकिन इसमें 20 साल से पानी नहीं आया है। वहां इस

प्रकार की प्राकृतिक स्थितियां हैं।

मुझे गर्व है कि मैं इस इलाके से आता हूं, इस इलाके से आने वाला हर नागरिक, हर इंसान देश के विकास में भागीदारी रखता है। यहां का हर नागरिक पाकिस्तान की सीमाओं के ऊपर बड़ी मुस्तैदी से राष्ट्रीय सुरक्षा में भागीदारी करता है और यह जानना चाहता है कि देश के विकास में भागीदारी कैसे हो? मैं यही जानने के लिए इस सदन में खड़ा हुआ हूं।

MR. CHAIRMAN : There is a time-limit. We have also to take other Members to participate in this discussion.

श्री हरीश चौधरी : मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता हूं लेकिन इससे पहले बिहार की चर्चा के लिए एक घंटा मिला था। अगर आपका हुक्म नहीं होगा तो मैं एक सेंकिण्ड भी नहीं बोलूंगा और बैठ जाऊंगा। लेकिन प्राइवेट मैम्बर रिजर्वेशन की परंपरा रही है, अगर आप उसे तोड़ना चाहते हैं तो मैं अभी बैठ जाऊंगा।

MR. CHAIRMAN: No, that is not the case. The time allotted for this discussion is two hours. You are the initiator of the discussion. You can allow other Members also to participate in this discussion and support it. Then only it will be helpful.

श्री हरीश चौधरी : सभापति महोदय, हम सबने बिहार की समस्या को तीन दिन तक बहुत गंभीरता से सुना है। हम आपसे अपनी तकलीफ के बारे में बताने के लिए आग्रह करते हैं। अगर आप संसदीय प्रणाली और परंपरा को निभाते हुए कहेंगे तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा।

MR. CHAIRMAN: You can continue up to 6 o'clock.

श्री हरीश चौधरी : आपने प्राइवेट मैम्बर रिजर्वेशन में भोला सिंह जी को अलाऊ किया गया था।

MR. CHAIRMAN: You speak.

श्री हरीश चौधरी : महोदय, मेरा सुझाव है कि डेजर्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनानी चाहिए। मरुस्थल के लिए योजना बनाकर समग्र विकास की सोच के साथ काम किया जाना चाहिए। मेरा सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से यह अनुरोध है। डेटर्ज डैवलपमैन्ट प्रोग्राम के तहत सात राज्यों में 1995-96 से 2010 तक 3004 करोड़ रुपये जारी किये गये। लेकिन मुझे बड़े दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि धरातल पर उन योजनाओं की धनराशि का क्या हश्र हो रहा है। आज इस हश्र की पीड़ा को यह संसद समझे, चूंकि इतनी बड़ी योजनाओं और इतनी बड़ी धनराशि के बावजूद भी नीचे तक उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, यह उसकी स्थिति का आकलन करे। हम सिर्फ योजनाएं बना दें और उन योजनाओं को किसी और व्यवस्था के हवाले छोड़ दें और उन योजनाओं का फायदा जमीनी स्तर पर गांवों के गरीब किसानों को नहीं मिले तो स्थिति बहुत चिंतनीय हो जाती है। लेकिन आज यही हो रहा है, योजनाएं तो बहुत बड़ी-बड़ी बन रही हैं, परंतु उन योजनाओं की धरातल पर क्या स्थिति है।

महोदय, मेरे जेहन में इस समय एक बात और आती है कि आजादी के बाद जहां पिछले 20-25 सालों में हमारी लोकतंत्रीय परम्परा और लोकतंत्र की मजबूती के कारण जनप्रतिनिधि की जो आवाज और गवर्नेन्स में भागीदारी और भूमिका रहती थी, वह दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से नहीं रह पा रही है। आज जनप्रतिनिधियों को योजनाएं बनाने, बल्कि मैं कहता हूं कि बिल, कानून और नियम बनाने में जनप्रतिनिधि की भूमिका धीरे-धीरे नगण्य होती जा रही है। उस भूमिका को हम लोग अन्य हाथों में दे रहे हैं। मुझे इस संसद में आए हुए 26 महीने हो गये हैं। मेरा अनुभव बहुत कम है, परंतु मैं यह अहसास नहीं कर पा रहूं कि योजना कैसे बने, बिल कैसे बने और उसके क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैसी व्यवस्था हो, वह दुर्भाग्य से इस देश में कहीं भी नहीं हो रही है। आज हम लोगों को यह समझना और सोचना चाहिए कि बिल बनाने, योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में यदि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होगी तो देश में ऐसा ही वातावरण रहेगा और जो अविश्वास जनप्रतिनिधि भुगत रहे हैं, अविश्वास किसका अविश्वास, आज जनप्रतिनिधियों के पास कुछ भी नहीं है। इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के पास वोट की ताकत है और वोट की ताकत से ही हम लोग यहां आकर बैठते हैं। परंतु किसी बिल में, किसी योजना में या उसके क्रियान्वयन में क्या हम लोगों की भागीदारी है? इस सदन के माध्यम से मैं अपनी यह पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैं आगे की बैंचों पर बैठे हुए माननीय सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीछे की बैंचों पर बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधियों की यही स्थिति है। यह स्थिति सिर्फ इस संसद में ही नहीं है, बल्कि विधान सभाओं और ग्राम पंचायतों में भी यही स्थिति है। आज हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है।

महोदय, पहले हमारे हिंदुस्तान के किसान...(<u>व्यवधान</u>) मैं राजनीतिक तौर पर नहीं कहना चाहता। पहले हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, ग्रामीण और देश के लोग यह मानते थे कि हिंदुस्तान गरीब है। वे इस विकास में अपनी भागीदारी नहीं देखते हैं। परंतु पिछले कुछ समय से हम एक विकसित हिंदुस्तान देख रहे हैं और इस विकसित हिंदुस्तान में वह अपनी भागीदारी नहीं देख पा रहा है। यह आज हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज हमारे यहां से बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती हैं। आज आई.डब्ल्यू.एम.पी. की योजना के बारे में मंत्री महोदय बता रहे कि यह हम लोगों के लिए बनी है। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना यहां से बनती है। आज किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्थिति मरूस्थल के किसानों के बीच है, वह मैंने इस संसद में बताई है, परंतु इसके बावजूद भी किसानों की राहत के लिए कुछ काम नहीं हुआ है, यह मुझे बहुत दुख के साथ इस संसद में कहना पड़ रहा है।

महोदय, जो आईडब्ल्यूएमपी की स्कीम बनी है, उस स्कीम का हश्र यह है कि पिछले साल की स्कीम का डीपीआर भी आज तक नहीं बना है। रेगिस्तान के लिए जो स्कीमें बनाकर लागू की गई हैं, उनकी धरातल पर क्या स्थिति है, आज वहां का आदमी जयपुर तक भी नहीं पहुंच सकता है। आज दिल्ली में आकर अपनी व्यथा का बखान करने की उसके पास ताकत नहीं है। हमारे पास रेलवे की भी उचित व्यवस्था नहीं है। मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र के 58 हजार स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सीमित इलाका है, जिसमें रेल जा सकती है। मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

<u>18.00 hrs.</u>

कुछ लोग अपने सीमित ज्ञान के कारण यह राय रखते हैं कि मरूस्थल की भूमि में विकास नहीं हो सकता है, वह अनुपजाऊ जमीन है। हम लोग पड़ोस के जिलों के अंदर जो देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर गंगानगर ओर हनुमानगढ़ के अंदर यही रेतीली जमीन थी, उसके अंदर सिंचाई की व्यवस्था कराई गई तो आज वही जमीन

बहुत उपजाऊ हो गई है। पंजाब और हरियाणा के अंदर भी यही स्थिति थी। जब वहां सिंचाई की व्यवस्था हुई तो वहां की जमीन भी सिंचित और उपजाऊ हो गई। मैं संसद में उपजाऊ और अनुपजाऊ जमीन का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अब लैण्ड एक्युज़ीशन बिल आ रहा है। उसके अंदर उपजाऊ और अनउपजाऊ जमीन का भी जिक्र होगा। जो मरूस्थली इलाका है, वहां की जमीन अनुपजाऊ क्यों है, वह भी मैं इस संसद के माध्यम से इस देश को बताना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN : It is six o'clock now, so you can continue your speech next time.

If the hon. Members agree, we will take up 'Zero Hour' now.